न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—राजकेश मीणा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—692/2020

प्रार्थीगणः—

1 रेवंतराम पुत्र मूलाराम
2 टीकुराम पुत्र मूलाराम
जातियान—जाट निवासी—नेवरा रोड तहसील ओसियां

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1 बाबुलाल पुत्र गिरधारीराम
2 भंवरलाल पुत्र गिरधारीराम
3 उमाराम पुत्र चुनाराम
4 देदाराम पुत्र चुनाराम
5 नृसिंहराम पुत्र चुनाराम
जातियान जाट, निवासी नेवरा रोड तहसील ओसियां

प्रार्थना पत्र 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— **प्रार्थी की ओर से—अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी।**
अप्रार्थी संख्या 1 से 5 एक पक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से— पेरोकार सरकार।

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 13/7/2022

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया किः— प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 552 रकबा 6.0865 हैक्टेयर ग्राम नेवरा रोड तहसील ओसियां की सरहद में आई हुई है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का श्कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडोस में दक्षिण—पश्चिम सीमा पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 2.5414 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 551/1 रकबा 2.5414 हैक्टेयर ग्राम नेवरा रोड मे आई हुई है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की दक्षिण—पश्चिम सीमा में अप्रार्थीगण ने दखलंदाजी करनी शुरू कर दी तथा प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने के आशय से मौके पर विद्यमान पौराणिक माठ को खुर्द—बुर्द करना शुरू कर दिया है तब प्रार्थी ने अपनी भूमि की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार ओसियां के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिस पर तहसीलदार ओसियां ने आदेश दिनांक 12.11.2020 को पारित कर पटवारी नेवरा रोड को प्रार्थीगण की उक्त भूमि बाबत पैमाइश करने का आदेश दिया गया। तब पटवारी मौके पर पहुच कर उपस्थित पक्षकरान के रूबरू मीमो ट्रेश की सहायता से प्रार्थीगण की भूमि का सीमांकन

सहायक कलेक्टर, ओसियां

कर मुटाम कायम करने प्रारम्भ किये तब तक अप्रार्थीगण ने मौके पर विवाद करना शुरू कर दिया। तथा मुटाम नही लगाने दिये। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते है।

ग्राम नेवरा रोड के खसरा नम्बर 552 रकबा 6.0865 हैक्टेयर भूमि की टीम गठित करवाई जाकर पत्थरगढी करवाने का आदेश फरमावे एवं पुलिस इमदाद दिये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि की सीमाओ पर पत्थर रोपने नही दिया व और न ही सीमांकन करने दिया। इसीलिए पत्थरगढी कार्यवाही की जावे।

बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ग्राम नेवरा रोड के खसरा नम्बर 552 रकबा 6.0865 हैक्टेयर के भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी चाही गई है प्रार्थीगण को उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के ग्राम नेवरा रोड के खसरा नम्बर 552 रकबा 6.0865 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की तहसीलदार ओसियां टीम गठित की जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है पत्थरगढी के वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 13/7/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां